(43)

268

माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर, सर्किट कोर्ट, रीवा,
प्रकरण / पुनरीक्षण (Revision)कमांक..............

CANCELLED CANCELLED CANCELLED

Rs 301

श्रीमती गुलवास शाहू पुत्री स्व0 महावीर शाहू (ग्राम खुटार) उम्र लगभग 65 वर्ष पत्नी श्री कृष्णधारी शाहू निवासी हाल मुकाम ग्राम जरहा, वर्तमान में तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली (म0प्र0) ———————— आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता / व्यथित महिला)

RS189-II/16

बनाम

रामनारायण शाहू तनय स्व0 रामसेवक शाहू, निवासी ग्राम खुटार, थाना बैढ़न, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म0प्र0)———————अनावेदक / प्रत्यर्थी(आवेदक)

श्री श्यामबिहारी त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 22-4-16 प्रस्तुत किया गया। सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरूद्ध कार्यवाही एवं आदेश राजस्व निरीक्षण वृत्त खुटार, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली, सीमांकन प्रकरण कमांक 09 / अ–12 / 015–16 आदेश दिनॉक 27.02.2016।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता, 1959 ई.।

मान्यवर,

सर्वप्रथम मामले से संबंधित (प्रश्नाधीन) भूमि / सर्वेक्षण संख्या 2278 रकवा 0.714 हे0 स्थित ग्राम खुटार जं.नं. 50 पटवारी हल्का खुटार नं. 19, रा0 नि0 वृत्त खुटार तह0 / जिला सिंगरौली के संबंध में माननीय न्यायालय को संक्षिप्त में जानकारी देकर अवगत कराना चाहूँगा जिसके जुज रकवा 0.040 हे0 के सीमांकन बावत अन्तर्गत धारा 129 म0 प्र0 भू0 रा0संहिता0 उक्त प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त खुटार के समक्ष दिनॉक 20.01.016 को प्रस्तुत किया गया तथा पटवारी हल्का खुटार से सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त कर अपने आदेश दिनॉक 27.02.2016 द्वारा प्रतिवेदन सीमांकन की पुष्टिकरण किया गया।

उक्त भूमि स्थित ग्राम खुटार ख0क0 2278 रकवा 0.714 हे0 के हकदार हिस्सा 1/3 के आवेदिका के पिता महावीर तनय जागेश्वर शाहू तथा हिस्सा 1/3 के हकदार मनबोध शाहू एवं हिस्सा 1/3 के हकदार चतुरी शाहू रहे, जो कि फौत हो चुके हैं। जिनके वारिसान मौजूद हैं, वारिसानों का नाम अभिलेख पटवारी खसरे में इन्द्राज है।

(43)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[redacted]ा क्रमांक R5189-II/16 जिला–सिंगरौली

**गुलवासू साहू/ रामनाराण साहू**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 05.8.19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम बिहारी त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त खुटार, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 09/अ–12/2015–16 ए में पारित आदेश दिनांक 27.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(महेशचन्द्र चौधरी),<br>सदस्य | — |